



उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय : अररिया

सार्वजनिक बिक्री
नीलामी सूचना/
नीलामी तिथि 03-04-2024
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आरिक्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)
(सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और/या

नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रों) और गारंटीदाता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार(रों)/गारंटीदाता(ओं) बंधकदाता(ओं)/ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है) जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित पड़ी है, जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/कोटेड शन्स आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 02-04-2024 को या उससे पहले, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जिन्दल कॉम्प्लेक्स, नियर बस स्टैंड, अररिया में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 03-04-2024 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम	बकायेदार/जमानतदार का नाम पता व खाता संख्या	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/अधिग्रहण तिथि / अधिग्रहण प्राकर	बकाया धनराशि (रु.)	आरक्षित धनराशि/अग्रधन धनराशि (ईएमडी) रु.
1.	खगड़ा	ऋणी- मो. समशूल होदा, पिता मो. मुस्तकीम, पता - नियर हवाई अड्डा, थाना व जिला- किशनगंज, बिहार, पिन-855108, गारंटर - 1, मो. रगिब पिता मो. रफिक, ता - नियर हवाई अड्डा, थाना व जिला- किशनगंज, बिहार, पिन-855108, 2. मो. नजामुल होदा, पिता मो. मुस्तकीम, पता - नियर हवाई अड्डा, थाना व जिला- किशनगंज, बिहार, पिन-855108	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सा मो. समशूल होदा पिता मो. मुस्तकीम के नामित। मौजा-पोटिया ढकविंजा, थाना नंबर-53 (128), खाता नंबर-10, खेसरा नंबर-137, रकबा-03 डेसिमल 2½ कड़ो, टाइटल डीड नंबर-7383 दिनांक 31.08.2012, रजि. सह जिला- किशनगंज, जिला- किशनगंज, चौहदो उत्तर - निजी सड़क, दक्षिण- पानो बंगम, पूरब- स्वर्गीय डोमन मियां, पश्चिम- निज क्रेता	मांग सूचना की तिथि -26.08.2022 अधिग्रहण सूचना की तिथि 18.11.2022	रु. 21,48,637 + (26,08,22 से ब्याज देय एवं अन्य खर्च)	रु. 16,58,865 रु. 1,65,886

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। पैन कार्ड एवं फोटो पहचान पत्र के साथ (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं 0 एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में अररिया में देवयोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन/अगले दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/ नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेही नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. सफल नीलामी के लिए स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क, सम्पत्ति कर या राज्य सरकार को देय राशि आदि का वहन स्वयं करना होगा। 8. बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हों। वे अपराह्न 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख/निरीक्षण कर सकते हैं। 10. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 11. बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.ubgb.in> पर सम्पर्क करें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बिक्री के लिए 30 दिन का नोटिस

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30दिनों की बिक्री सूचना कर्जदारोंध गारंटीदाताओं, कानूनी वारिसों, बन्धाककर्ता(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक संपत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 22.02.2024

स्थान : किशनगंज

प्राधिकृत अधिकारी



UTTAR BIHAR GRAMIN BANK

Regional Office, Araria

**Public Auction Sale Notice/
Auction Date 03.04.2024
(For Immovable Properties)**

Public Auction/Sale Notice For Immovable Assets

Auction Notice u/s 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) read with Rule 6(2) and /or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas the undersigned the Authorized Officer of the Uttar Bihar Gramin Bank u/s 13(2) of the above said SARFAESI ACT, 2002 and in exercise of the powers conferred u/s 13(2) of the said Act read with Rule 3 issued a Demand Notice calling upon the Borrower(s) and Guarantor(s) Mortgagor(s) to repay the amount in terms of the said notice within 60 days from the date of the said notice. And whereas the Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount and hence, the undersigned, in exercise of the powers conferred u/s 13(4) of the said Act read with Rule 4 and/or Rule 8 of the Rules has taken over the possession of the property/properties (here in after referred as the said properties). And whereas the undersigned in exercise of the powers conferred u/s 13(4)(a) of the SARFAESI Act, 2002 proposes to realize the bank's dues by Sale of the said properties. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditors, the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Uttar Bihar Gramin Bank. Secured Creditor, will be sold on **"As is where is". "As is what is" and "whatever there is"** basis the date as mention in the table herein below. for recovery of dues mentioned. Notice is again hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) that the Authorised Officer has decided to invite BID/tenders/quotations the Immovable properties mentioned below under SARFAESI Act 2002. So, the interested persons/Bidders are invited to submit their BID, by fulfil all terms & conditions mentioned below, in a sealed envelop on or before **02.04.2024** at Uttar Bihar Gramin Bank, Regional Office, Jindal Complex, Near Bus Stand, Araria, BID will be opened on **03.04.2024 At 3:00 PM**

Sr. No.	Branch Name	Name & Address or Borrower/ Guarantor / Mortgager And Account No	Description of Immovable Property	Demand Notice Date/ Possession Date Possession Type	Due Amount (Rs.)	Reserve Price (INR)
						EMD
1.	Khagra	Borrower- Md. Samsul Hoda S/o Md. Mustakim R/o Near Hawaii Adda, Post & PS- Kishanganj, Dist.- Kishanganj, Bihar, Pin-855108, Guarantor - 1. Md. Ragib S/o Md. Rafik, R/o Near Hawaii Adda, Post & PS- Kishanganj, Dist.- Kishanganj, Bihar, Pin-855108, 2. Md. Najamul Hoda W/o Md. Mustakim, R/o Near Hawaii Adda, Post & PS- Kishanganj, Dist.- Kishanganj, Bihar, Pin-855108	All that part and parcel of the property in the name of Md. Samsul Hoda S/o Md. Mustakim, at Mauza- Pothia Dhekanvinja, Thana No.-53 (128), Khata No.-10, Khesra No.-137, Area - 03 Decimal 2½Kari, Title Deed No.- 7383 dated 31.08.2012, Registration sub District- Kishanganj, Dist.- Kishanganj, Boundary: North - Private Road, South- Pano Begum, East- Late Doman Miyan, West.- Niz Purchaser	Date of Demand Notice- 26.08.2022 Date of Possession Notice - 18.11.2022	Rs. 21,48,637 (From 26.08.22 Plus Interest + Legal Expense)	Rs. 16,58,865 Rs. 1,65,886

Terms & Conditions of Sale- 1. Interested Bidders have to submit their BID in sealed envelopes Along With Pan Card & Photo Identity Card (Clear & Readable BID Serial number & Date of publication should be mentioned over the envelop), 2. Bidders have to submit/attach 10% Reserve price as earnest money deposit in form of DD/Banker's cheque favoring "Authorised Officer, Uttar Bihar Gramin Bank, Regional Office, " & payable at Araria, in advance along with the BID. The Highest BID value (should not be less than the Reserve price) will be considered as successful Bidder & rest EMD of unsuccessful Bidder will be sent back without interest within a week. 3. Successful Bidder will have to deposit 25% of the BID amount (including EMD) at the same day in form of DD/Bankers' Cheque and rest amount will have to be paid strictly within 15 days of confirmation of the said. If he fails to do so, the amounts previously deposited by him will be seized. 4. Authorised Officer reserves the right to accept/ reject/ cancel/ suspend any BID/Highest one without intimation about any reason or prior notice. Authorised Officer reserves the right to extend the date of Sale/Auction. 5. Authorised Officer would not be held liable for any type of due charges/lien/encumbrances/taxes/Govt. dues and other party claims & dues. 6. Property would not be sold an amount less than the Reserve Price. The successful Bidder will have to entertain all stamp duties & registration Fee at self. 7. Stamp duty registration fee to successful auction banana, Property tax or the amount due to the state government etc. will have to be borne by himself. 8. BID/Sale will be subject to confirmation by Bank. Properties will be sold on "As is where is". "As is what is" and " whatever there is" basis. 9. This is the sole responsibility of the Bidders to be satisfy & be confirmed about the properties. They can visit/inspect the properties by seeking time from the respective branches at any working day from 12:00 noon to 4:00 pm. 10. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagors. 11. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's website, i.e. <https://www.ubgb.in>

30 Days' Notice to Sale under SARFAESI ACT-2002

Notice is hereby given to Borrowed/Guarantor(s)/Mortgagors to pay all due amount mentioned above to the Bank before the action. If they fails to do so, the Mortgaged property would be sold and on the date mentioned and if any due/s left will be recovered to them with due interest, charges & expenses.

Date : 22.02.2024
Place : Kishanganj

Authorized Officer